

Roll No.

LM-105

Banking Law

(बैंकिंग विधि)

(Master of Law LLM-12/16)

First Year, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

Note : This paper is of **seventy (70)** marks containing **three (3)** sections A, B, and C. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र सत्तर (70) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Write an essay on Nationalisation of Banks in India.
भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर एक निबन्ध लिखिए।
2. Discuss the role of Reserve Bank of India in controlling Commercial Banks.
वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. Explain the duties of a 'Banker'.
एक 'बैंकर' के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।
4. Explain the objectives of Information Technology Act, 2000.
सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer *six* (06) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (5) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल छः (06) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss in brief the various types of accounts in banks.
बैंकों में विभिन्न प्रकार के खातों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. How the interests of investor is protected ?
निवेशी (Investor) के हित को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है ?
3. Discuss the organizational structure of Reserve Bank of India.
भारतीय रिजर्व बैंक की संगठनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए।
4. How 'holder' becomes 'holder in due course' ?
एम 'धारक' (holder) किस प्रकार 'सम्यक् अनुक्रम में धारक' हो जाता है ?
5. What do you mean by 'Credit Card' ? How does it work ?
'क्रेडिट कार्ड' से आप क्या समझते हैं ? यह कैसे कार्य करता है ?
6. Discuss the relationship of banker with customer.
बैंक और ग्राहक के मध्य सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।
7. How the Reserve Bank of India regulates the activities of Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ?
भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को संचालित करता है ?
8. What do you mean by 'nomination facility' ? When and for what type of bank deposits it is available ?
नामांकन सुविधा (Nomination Facility) से आप क्या समझते हैं ? यह सुविधा कब और किस किस्म के बैंक में जमा राशि पर उपलब्ध होती है ?

Section-C / खण्ड-ग**(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following are True *or* False :

इंगित कीजिए कि निम्नलिखित सत्य हैं या असत्य :

1. Reserve Bank of India came into existence of April 1, 1935.

भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल, 1935 को अस्तित्व में आया।

2. Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act was enacted in the year 1996.

सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (SEBI) अधिनियम वर्ष, 1996 में पारित हुआ।

3. Reserve Bank of India has power to control Commercial banks.

भारतीय रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों के नियंत्रण की शक्ति है।

4. One rupee note are issued by Ministry of Finance of the Government of India.

एक रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

5. We can transfer money through credit card.
हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धन का हस्तान्तरण कर सकते हैं।
6. We cannot transfer money through internet.
हम इन्टरनेट के माध्यम से धन का हस्तान्तरण नहीं कर सकते हैं।
7. A bank cannot disclose information regarding customer's accounting in any case.
बैंक अपने ग्राहक के खातों के सम्बन्ध में सूचना किसी भी परिस्थिति में प्रदान नहीं कर सकती।
8. Section 9 of Negotiable Instruments Act related to 'holder in due course'.
पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 9 'सम्यक् अनुक्रम में धारक' से सम्बन्धित है।
9. Reserve Bank of India is not the Central Bank of the country.
भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की केन्द्रीय बैंक (Central Bank) नहीं है।
10. Non-Banking Financial Companies (NBFCs) have been classified into five categories.
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

